सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक *27*, शुक्रवार, *शाके* 1944-नवम्बर 18, 2022

Kartika 27, Friday , Saka 1944- November 18, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (बजट) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 18, 2022

एस.ओ.111 :-राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम सं. 8) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद् का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(i)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(ii)	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रभारी मंत्री	सदस्य
(iii)	मुख्य सचिव	सदस्य
(iv)	वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(v)	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य-सचिव
(vi)	आयोजना विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vii)	राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य	सदस्य

[सं. एफ.4(40) वित्त-1(1)/आ.व्य./2022]

राज्यपाल के आदेश से,

रोहित गुप्ता,

शासन सचिव।

FINANCE (BUDGET) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 18, 2022

S.O.111 .- In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Fund (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Act, 2022, (Act No. 8 of 2022), the State Government

hereby constitutes the State Scheduled Tribes Development Council for Scheduled Tribes Development Fund (STDF), which shall consist of the following, namely:-

(i)	Chief Minister	Chairperson
(ii)	Minister in-charge of the Tribal Area Development Department	Member
(iii)	Chief Secretary	Member
(iv)	Secretary to the Government in-charge of Finance Department	Member
(v)	Secretary to the Government in-charge of Tribal Area Development Department	Member Secretary
(vi)	Secretary to the Government in-charge of Planning Department	Member
(vii)	Three members representing the Scheduled Tribes in the State Legislature nominated by the State Government	Member

[No. F.4(40)FD-1(1)Budget/2022]
By order of the Governor,

ROHIT GUPTA,
SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.